भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3029**

बुधवार, **21** मार्च, 2018/3**0** फाल्गुन, 1939 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

सस्ते होटलों की स्थापना

3029. डॉ. विकास महात्मेः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पर्यटक स्थल के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के उद्देश्य से कितने सस्ते होटलों की स्थापना की गई है**;**

(ख) क्या होटल स्थलों की पहचान को सुविधाजनक बनाने और पात्र उद्यमियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा उनके आवंटन तथा एकल खिड़की स्वीकृतियों हेतु सहायता प्रदान की जाती है**;** और

(ग) क्या पर्यटकों हेतु प्रवेश एवं निकास स्थानों पर बिना कर के निर्बाध आवाजाही की व्यवस्था सहित राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक वाहन पंजीकरण हेतु कोई नीति मौजूद है**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री के.जे. अल्फोंस)

(क) : होटलों का निर्माण एवं संचालन मुख्यत: निजी क्षेत्र का कार्यकलाप है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार अपनी स्वैच्छिक योजना के अंतर्गत दी गई विभिन्न सुविधाओं एवं सेवाओं के मानकों के आधार पर विभिन्न सितारा/विरासत श्रेणियों के तहत संचालित होटलों का वर्गीकरण करता है। बजट पर्यटकों घरेलू तथा विदेशी दोनों के लिए होटल आवास की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अतिथिगृहों के अनुमोदन हेतु तथा अतुल्य भारत बेड एवं ब्रेकफास्ट/होम स्टे स्थापनाओं के अनुमोदन हेतु मंत्रालय की स्वैच्छिक योजनाएं जिनका मूल उद्देश्य विदेशी तथा घरेलू पर्यटकों को समान रूप से स्वच्छ तथा वहनीय स्थल प्रदान करना है।

परियोजना चरण होटलों के अनुमोदन हेतु पर्यटन मंत्रालय की स्वैच्छिक योजना निर्धारित करती है कि 1, 2, 3 और 4 सितारा श्रेणियों तथा विरासत (बेसिक) श्रेणी के केन्द्र/राज्य सरकार से सब्सिडी/कर लाभ/अन्य लाभ लेने वाले होटलों पर 8 वर्ष की अवरुद्धता अवधि की शर्त लागू होगी जिसके दौरान वे उच्च श्रेणी का उन्नयन नहीं मांगेगे। यह होटल बजट श्रेणी होटल के रूप में सेवा प्रदान करना जारी रखेंगे।

आज की तारीख में उपरोक्त श्रेणियों में पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित यूनिटों की संख्या निम्नानुसार है:

4 सितारा	3 सितारा	2 सितारा	1 सितारा	बेड एवं ब्रेकफास्ट/होम स्टे	अतिथि गृह
253	443	53	7	638	5

(ख) : आतिथ्य विकास तथा संवर्धन बोर्ड (एचडीपीबी) पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार में दिनांक 21.01.2011 को जारी अधिसूचना के द्वारा बनाया गया था। सभी राज्य सरकार और केन्द्र प्रशासित क्षेत्र को अपने सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के बोर्ड स्थापित करने की सलाह दी गई है। अभी तक महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस बोर्ड की स्थापना की है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निधियां जारी नहीं की हैं तथापि, सभी राज्यों को होटल परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित करते समय बजट होटलों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ग) : जी, नहीं।

****